<u>न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतर्रा।</u>

<u>पंजीकरण सं0- 663/2026</u>

<u>सी.एन.आर.सं.-यू.पी.बी.डी.120012712026</u>

सरकार बनाम उषा देवी आदि

अ.सं.-5/2026

धारा-115(2),352,351(3) बी.एन.एस.

<u>थाना- फतेहगंज, जिला बांदा।</u>

<u>**दिनांक-16.07.2026**</u>

अभियुक्तगण/प्रार्थीगण **ऊषा देवी, रामकिशोर** निवासीगण–बजरंगपुर अंश डढवामानपुर, थाना फतेहगंज, जिला बांदा द्वारा अ.सं.–5/2026, धारा–115(2),352,351(3) बी.एन.एस., थाना फतेहगंज, जिला बांदा के प्रकरण में न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने की याचना की व जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूंठा व रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थीगण का अपराध जमानतीय है। प्रार्थीगण पर्याप्त जमानते देने को तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध अजमानतीय प्रकृति का होना कहा गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा आज दिनांक 16/07/2026 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त का आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उक्त प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। चूंकि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध 07 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय हैं। अतः मामले के तथ्यों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुये जमानत के आधार पर्याप्त हैं, तदनुसार अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण/प्रार्थीगण **ऊषा देवी, रामकिशोर** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अ.सं.–5/2026, धारा–115(2),352,351(3) बी.एन.एस., थाना फतेहगंज, जिला बांदा के प्रकरण में स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा मु० 20,000/– रु० का एक प्रतिभू व इसी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल करने पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाये।

(मुनि कुमार सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अतर्रा, बांदा
J O Code– UP 4796